

फैक्स

बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग  
(समाज कल्याण निदेशालय)

संख्या-10/योजना-01/2011-

15

प्रेषक,

इनामुद्दीन अहमद,  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,  
(जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 कोषांग)  
मधेपुरा एवं कैमूर।

पटना-15, दिनांक-

06/03/17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के अधीन जनजातीय क्षेत्र उप योजना के महिलाओं के लिए कुल रुपये 19,15,000/- (उन्नीस लाख पंद्रह हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या-50 दिनांक-25.05.2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना के अधीन जनजातीय क्षेत्र उप योजना के महिलाओं के लिए कुल रुपये 3,81,00,000/- (तीन करोड़ एकासी लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-2456 दिनांक-28.12.2016 एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक-131 दिनांक-20.02.2017 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटन की मांग की गयी है। उक्त के आलोक में मधेपुरा एवं कैमूर जिला को कुल रुपये 19,15,000/- (उन्नीस लाख पंद्रह हजार) मात्र निम्न प्रकार आवंटित किया जाता है :-

क्रमांक	जिला का नाम	आवंटित राशि
0	1	2
1	मधेपुरा	1,65,000/-
2	कैमूर	17,50,000/-
कुल योग		19,15,000/-

3. आवंटित राशि का व्यय जनजाति क्षेत्र उप योजना के लाभार्थियों पर किया जायेगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाना है।

5. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर से उक्त राशि को आवश्यकतानुसार संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित राशि में से 1 (एक) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा। प्रशासनिक मद में अंकित राशि योजना के प्रचार-प्रसार, प्रपत्र की छपाई, स्टेशनरी, उपस्कर एवं उपकरण का क्रय एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों पर ही व्यय किया जायेगा।

7. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष -0123-"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"-3106-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा' के अंतर्गत मॉग संख्या-51 से विकलनीय है। इसका विपत्र कोड सं०- पी०-2235027960123 एवं राज्य योजना स्कीम कोड-WEL5490 है।

8. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, 2450 दिनांक-17.04.1999, पत्रांक-41 वि० (2) दिनांक-30.01.2002 एवं 2938वि० (2) दिनांक-08.04.2008 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

9. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही महालेखाकार, बिहार को विहित प्रपत्र में भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा उसकी प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

विश्वसभाजन

(इमामुद्दीन अहमद)  
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/योजना-01/2011- 15

पटना, दिनांक-

06/03/17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इमामुद्दीन अहमद)  
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक-10/योजना-01/2011- 15

पटना, दिनांक-

06/03/17

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इमामुद्दीन अहमद)  
निदेशक, समाज कल्याण।